802

SIV No. 08 /2024

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
सूबेदारगंज, प्रयागराज

पत्र सं.- 20230800348/C/V4/G/ALD

दिनांक - 19.02.2024

प्रधान वित्त सलाहकार,
उत्तर मध्य रेलवे,
प्रयागराज ।

विषय:- दो वर्ष से पुराने भंडार बिलो को पास करने मे हुए विलंब को दूर करने हेतु 'प्रणाली सुधार' के संबंध में|

उपरोक्त विषय से संबन्धित M/s Paragon instrumentation Engineers Pvt. Ltd, Roorki द्वारा प्राप्त शिकायत प्रकरण पर सतर्कता टीम द्वारा जांच की गयी| जाँच मे पाया गया कि Suppliers/Contractors के दो वर्षो से पुराने बिल को Delay Condone की अनुपलब्धता मे सिर्फ संक्षिप्त रिमार्क्स देते हुए एक ही बिल को एक से अधिक बार ऑनलाइन वापस कर दिया गया| जाँच मे पाया गया कि उक्त संक्षिप्त रिमार्क्स से Suppliers/Contractors को यह समझ मे नहीं आता है कि बिल को किन कारणों से वापस किया गया है एवं Suppliers/Contractors द्वारा पुन: बिल को किस प्राधिकारी के पास Delay Condone हेतु बिल को किस माध्यम से (ऑनलाइन या ऑफलाइन) प्रस्तुत करना है| उक्त जांच प्रकरण में यह ज्ञात हुआ कि बिल भुगतान प्राधिकारी द्वारा लगाए गए संक्षिप्त रिमार्क्स के कारण Suppliers/Contractors द्वारा बिल को प्रस्तुत करने में हुई विसंगतियो को दूर करके पुन: प्रस्तुत करने में कठिनाईओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बिल को पास होने मे काफी विलंब होता है| चूकि दो वर्ष से पुराने बिल आपवादिक प्रकार के बिल होते है, अत: ऐसे बिल को पास करने मे विलंब से बचने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित है|

1. दो वर्ष से पुराने बिल को को सिर्फ संक्षिप्त रिमार्क्स के आधार पर वापस न करकें बल्कि एक विधिवत पत्राचार आवश्यक है| जिसमे बिल को वापस करने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो, ताकि बिल प्रस्तुतकर्ता को बिल वापस होने के कारणों का पता चल सके|
2. दो वर्ष से पुराने बिल को पास करने में Delay Condone की आवश्यकता होती है, अत: बिल प्रस्तुतकर्ता को पत्र के माध्यम से अवगत करायें कि Delay Condone करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है एवं बिल किनके समक्ष किस माध्यम (ऑनलाइन/ऑफलाइन) से प्रस्तुत करना है| इस प्रकार के प्रकरणों में पूरी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए System Generated पत्र फ़र्म के e-mail पर भेज दिया जाए|

अत: अनुरोध है कि इस प्रणाली सुधार(SIV) को उत्तर मध्य रेलवे के सभी लेखा इकाईयों में लागू कराने हेतु निर्देशित करें एवं SIV के लागू होने पर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें|

इसे वरि. उपमहाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है|

19/2/24

(इन्द्रजीत कटियार)
मु.स.अधिकारी/भण्डार.
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)